सेवा मे,

श्रीमान अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नैनीताल

महोदय

निवेदन इस प्रकार है कि मेरी माता श्रीमती महमूद जहाँ का देहान्त दिनांक 21/12/16 को हो गया है. मेरी माता के नाम पर हैज़ बार्टन कम्पाउन्ड मे मकान है,

अत: महोदय आपसे निवेदन है कि प्रार्थी अपनी माता का एक मात्र वारिसान है, उक्त सम्पति को पालिका अभिलेखो मे नाम दर्ज करने की कृपा की जाये

09/06/17

प्रार्थी
Shafquat Afaq
शफकत आफाक सुल्तान
पुत्र स्व. मो सुल्तान
हैज़ बार्टन कम्पाउन्ड
तल्लीताल नैनीताल

नगर पालिका परिषद नैनीताल
अनुभाग
दिनांक

पचास रुपए रु 50

FIFTY RUPEES Rs.50

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

कबूलियतनामा बावत हिबा जुबानी

मैं कि श्रीमती मेहमूद जहॉ उम्र 66 पत्नी स्व0 मो0 सुल्तान आजमी निवासी हैजवटन कॉटेज कम्पाउण्ड, तल्लीताल नैनीताल मै तहरीर कुनिन्दा जिसका कि एक मकान जो कि कुल 1250 वर्ग फीट के दायरे में है जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है – पूरब मे रास्ता, पश्चिम में पहाड़, उत्तर में सुशील कुमार त्रिवेदी दक्षिण में गुप्ता विला जिसके भूखण्ड में एक सैट 2 रूम किचन तथा बाथरूम, द्वितीय तल में 3 कमरें, 1 ड्राइंग रूम, ओपन किचन हर कमरे में बाथरूम, तृतीय तल में 2 सैट, प्रत्येक सैट मे 2 कमरें तथा लैट्रीन किचन बाथरूम स्थित है इन दोनों सैटो के पीछे लैट्रीन बाथरूम तथा किचन साथ में है जिसकी तहरीर कुनिन्दा तन्हे तन्हा मालिक व काबिज है। उपरोक्त मकान का भवन कर, बिजली, पानी, सीवर कर आदि तहरीर कुनिन्दा के नाम है और वही अदा करती चली आ रही है क्योंकि तहरीर कुनिन्दा काफी वृद्ध हो गई है और इस नश्वर शरीर का कोई भरोसा नहीं है कि इस संसार से कब प्राण पखेरू उड जाए इसलिए तहरीर कुनिन्दा ने तारीख 7 फरवरी 2016 को अपने इस मकान अपने पुत्र शफकत आफाक सुल्तान के हक में 2 गवाह 1. अब्दुल वहीद पुत्र स्व0 श्री निवासी 3 बर्डस आई व्यू, तल्लीताल नैनीताल 2. रईस खान पुत्र अहमद खान निवासी रॉक हाउस तल्लीताल, नैनीताल की मौजूदगी में हिबा जुबानी यानि बख्शीश कर दिया था जिसका कानूनी व जातीय कब्जा भी बावक्त हिबा शफकत आफाक सुल्तान को दे दिया था जिसे उसने मजूर कर जातीय व कानूनी कब्जा उसी तारीख हस्व हासिल कर लिया था आज तारीख 9.12.2016 इमरोज को इस तहरीर के जरिये मैं तहरीर कुनिन्दा अपने उपरोक्त हिबा जुबानी की तस्दीक रूबरू गवाहान करती हूँ।

भारतीय

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

इस तहरीर के जरिये मैं यह भी कहना चाहती हूं कि मेरे पुत्र शफकत आफाक सुल्तान जुबानी हिबा के बाद मकान मस्कूरावाला का मुकम्मल तौर पर मालिक व काबिज हो चुका है इस पर उसका जातीय कब्जा है उसे ये हक हासिल है कि वह उपरोक्त मकान का इस्तेमाल बतौर मालिक कर सकता है वह उपरोक्त मकान का दाखिल खारिज अपने नाम नगरपालिका नैनीताल में करवा लें इसमें किसी भी दीगर शख्स को एतराज का हक हासिल नही होगा इससे पहले मैने कोई तहरीर बावक्त मकान मस्कूरा किसी के हक में नहीं की है अगर कोई दीगर शख्स किसी भी तहरीर को उपरोक्त मकान मस्कूरा से दिखाता है वो सिफर व खारिज मानी जाये।

लिहाजा ये तहरीर बावक्त हिबा जुबानी इस कबूलियतनामा के रूबरू गवाहान बिना किसी जब्र व दबाव के पूरे होशोहवाश में कर रही हूँ ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

बावक्त तहरीर बामुकाम नैनीताल तारीख 9 दिसंबर 2016

हिबाकर्ता

गवाह

1. अब्दुल वहीद पुत्र स्व0 श्री अब्दुल मजीद
   निवासी 3 वर्डस आई व्यू, तल्लीताल नैनीताल

2. रईस खान पुत्र स्व0 श्री अहमद खान
   रॉक हाउस, तल्लीताल, नैनीताल

Shafquat Afaq

शफकत आफाक सुल्तान